



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड, अजमेर
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A⁺ श्रेणी प्रदत्त

बाजरे मय चारा एवं घास की नीलामी

संस्थान के सरस्वती छात्रावास जाने के बायीं तरफ रास्ते पर, थीम पार्क, असेम्बली हॉल के पास एवं प्राचार्य महोदय के आवास परिसर के आस-पास बाजरे मय चारे एवं कृषि फार्म, प्रायोगिक विद्यालय एवं आवासीय परिसर की घास की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 16/10/2026 को प्रातः 11.00 बजे कृषि फार्म पर होगी। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 12.10.2026 एवं 13.10.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ठेके पर दी जाने वाली बाजरा मय चारा एवं घास का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर सकते हैं। बोली लगाने की शर्तें संस्थान के अनुभाग अधिकारी (प.एवं.क) से प्राप्त की जा सकती हैं।

नियम, शर्तों एवं अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.riecajmer.raj.nic.in देखें।

(फा.सं.:— B-19013/8/2026-C&W(RIE AJMER)-Part(1))

प्रशासनिक अधिकारी

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

(बाजरा मय चारा एवं घास की कटाई को ठेके पर देने की शर्तें)

1. बाजरा मय चारा (सरस्वती छात्रावास जाने के बायीं तरफ रास्ते पर, थीम पार्क, असेम्बली हॉल के पास एवं प्राचार्य महोदय के आवासीय परिसर के आस-पास) एवं घास (कृषि फार्म, संस्थान व प्रायोगिक विद्यालय एवं आवासीय परिसर) नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 16/10/2026 को प्रातः 11.00 बजे कृषि फार्म पर होगी।
2. बाजरा मय चारा एवं घास काटने की नीलामी की आरक्षित मूल्य रुपये 1,05,000/- है।
3. बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पहले रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में नीलामी स्थल पर नकद जमा कराने होंगे। संस्थान के लेखा विभाग द्वारा रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कर रसीद दी जावेगी।
4. ठेकेदार को बाजरे की कटाई लदाई और ढुलाई के दौरान संस्थान के उन क्षेत्रों की सफाई की भी जिम्मेदारी होगी।
5. संपूर्ण संस्थान परिसर में पशु लाने, रखने व चराने की अनुमति नहीं होगी। केवल बाजरा मय चारा एवं घास काटने की अनुमति होगी।
6. प्रथम तीन उच्च बोलीकर्ताओं को छोड़कर शेष बोलीकर्ताओं जिनके पक्ष में नीलामी नहीं होती है, की धरोहर राशि नियमानुसार लौटा दी जाएगी।
7. बाजरा मय चारा एवं घास को एक ही बार काटने का ठेका, नीलामी की पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् दिया जायेगा।
8. जिस बोलीदाता की अधिकतम बोली पर नीलामी छूटेगी उसे उस नीलामी राशि के अनुरूप 3 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में संस्थान के कोषागार में जमा कराना होगा जो ठेके की समाप्ति पर पुनः लौटा दी जाएगी।
9. ठेके की अवधि के दौरान उक्त परिसर में किसी प्रकार की चोरी, तोड़-फोड़ या अवांछनीय गतिविधि होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेके की अवधि के दौरान यदि स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा या उसके कर्मचारी द्वारा यदि कोई नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई जमानत राशि में से की जायेगी या वास्तविक कीमत पर की जायेगी जिसका निर्णय सक्षम अधिकारी या कमेटी द्वारा लिया जायेगा।
10. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी होती है उसको जमानत राशि 05 माह के बाद ही लौटाई जायेगी।
11. यदि आरक्षित कीमत पर बोली नहीं लगती है तो समिति को कीमत में संशोधन का अधिकार होगा।
12. बोली लगाने वाले व्यक्ति को अपना/कर्मचारियों की पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई.डी. ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि) लाना होगा। इसी शर्त पर कोई व्यक्ति नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य माना जायेगा।
13. अनुमत बोलीकर्ता/ठेकेदार द्वारा या उसके कर्मचारियों को संस्थान से बाजरा काटकर ले जान हेतु संस्थान परिसर में मोटरसाईकिल/अन्य वाहन वैशाली गेस से लोन एवं ले जाने की अनुमति दी जा सकती है एवं उन्हें संस्थान परिसर में नियंत्रित गति से वाहन चलाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। बोलीदाता द्वारा वैध वाहनों का ही प्रयोग कृषि उपज के परिवहन के लिये किया जायेगा। अमान्य/अवैध वाहनों का संस्थान में प्रवेश वर्जित होगा।
14. ठेके के दौरान यदि परिसर/सम्पत्ति, पोधों व पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनुमत ठेकेदार व उसके अधिकृत कर्मचारियों द्वारा संस्थान के कार्मिकों, परिसर निवासियों व विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की बदतमीजी किये जाने की स्थिति में ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
15. जिस खरीददार की बोली स्वीकृत होती है उसे नीलामी की सम्पूर्ण कीमत तीन दिनों में संस्थान के कोषागार में जमा करानी होगी। यदि उक्त तिथि तक यह राशि जमा नहीं होती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका निरस्त समझा जायेगा।
16. बाजरा मय चारा एवं घास काटने की अनुमति नीलामी की सम्पूर्ण कीमत जमा होने के बाद ही दी जायेगी।
17. बाजरा मय चारा एवं घास की कटाई की जगह का अवलोकन हेतु दो दिवस (12 एवं 13 अक्टूबर, 2026) में किया जा सकता है। ठेकेदार को बाजरा मय चारे एवं घास की कटाई लदाई और ढुलाई के दौरान संस्थान के उन क्षेत्रों की सफाई की भी जिम्मेदारी होगी।
18. कटी हुई बाजरा मय चारा एवं घास सुरक्षा पर्यवेक्षक/केयरटेकर की अनुमति से ही नियमानुसार बाहर ले जाने दी जायेगी।
19. अनुमत क्षेत्र में संस्थान प्रशासन के निर्देश पर ठेकेदार को बाजरा मय चारा एवं घास काटनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन अपने स्तर पर बाजरा मय चारा एवं घास कटवा कर निस्तारण कर सकेगा।

20. यदि ठेकेदार ने उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया तो ठेका बीच में भी समाप्त किया जा सकता है तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि जप्त कर ली जायेगी।
21. बाजरे काटने की प्रशासनिक अनुमति प्रातः 7:00 से सायं 04:00 बजे तक रहेगी।
22. बाजरे एवं घास कटाई की जगह का अवलोकन हेतु दिनांक 12 और 13 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 10 बजे अनुभाग अधिकारी परिसर एवं कल्याण शाखा से संपर्क किया जा सकता है।
23. सड़कों के किनारे तथा आवासीय क्षेत्र की बाजरा को संस्थान प्रशासन अपने स्तर पर कटवाने को स्वतन्त्र है।
24. बाजरे एवं घास की बोली एक ही बोली दाता हो दी जायेगी बोली राशि दोनों कृषि उपज के लिये समेकित रहेगी।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, अजमेर होगा।